भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4198
जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

प्रयागराज उच्च न्यायालय की खंडपीठ

4198. श्री इमरान मसूद :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को न्याय तक आसान और वहनीय पहुंच प्रदान करने के लिए प्रयागराज उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और वर्ष 2000 की रिट याचिका संख्या (सी) संख्या 379 में उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय के अनुसार उच्च न्यायालय की न्याय पीठों की स्थापना की जाती है और राज्य सरकार के पूर्ण प्रस्ताव पर सम्यक रुप से विचार करने के पश्चात् संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति जो कि उच्च न्यायालय के दैनिक प्रशासन का कार्यभार संभालते है, की सहमति से आवश्यक उचित व्यय और असंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहमति दी जाती है । प्रस्ताव पर संबंधित राज्य के राज्यपाल की सहमति भी होनी चाहिए ।

वर्तमान में, सरकार के समक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंड़पीठ की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है ।

****